

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

दिनांक 20.03.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
481	परि.ता.प्र.सं. 08 (क्र. 2071) दि. 20.03.2015 (श्री संजय शर्मा)	तेन्दूखेड़ा विधान सभा क्षेत्र में आंशिक पूर्ण श्रेणी की बसाहटों में नलकूपों का उत्खनन समय-सीमा में किया जाना।	3 शेष आंशिक पूर्ण श्रेणी की बसाहटों में वित्तीय वर्ष 2015-16 में कार्य किया जावेगा।		
482	परि.ता.प्र.सं. 100 (क्र. 5006) दि. 20.03.2015 (श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य))	इंदौर जिले में नल-जल योजना का कार्य लक्ष्यानुसार निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाना।	शेष बच रही 15 योजनाये प्रगतिरत हैं, इनमें से 07 योजनायें मार्च 2015 तक, 06 योजनायें जून 2015 तक एवं 02 योजनायें मार्च 2016 तक पूर्ण की जाना लक्षित है।		
483	परि.ता.प्र.सं. 104 (क्र. 5033) दि. 20.03.2015 (श्री इन्दर सिंह परमार)	शाजापुर जिले के काला पीपल विकास खण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल हेतु पार्वती नदी आधारित समूह जल प्रदाय योजना की स्वीकृति दी जाना।	प्राप्त योजना के विस्तृत परीक्षण उपरांत निर्णय लिया जा सकेगा।		
484	अता.प्र.सं. 16 (क्र. 3149) दि. 20.03.2015 (श्री तरुण भनोत)	कटनी जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड के हेण्डपंप प्लेट फार्म का नियम विरुद्ध निर्माण कराये जाने की गई शिकायत की जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	उक्त शिकायत पर कार्यवाही प्रचलन में है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

राजस्व विभाग

दिनांक 20.03.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
485	परि.ता.प्र.सं. 11 (क्र. 2961) दि. 20.03.2015 (श्री सचिन यादव)	श्री बजरंग बहादुर तहसीलदार व अन्य के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच एवं जांच निष्कर्षों के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात तदनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।		
486	अता.प्र.सं. 126 (क्र. 5449) दि. 20.03.2015 (श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया)	तहसील अम्बाह एवं मुरैना जिला मुरैना अंतर्गत मजरे टोले को राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जाना।	कार्यवाही प्रचलित है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

गृह(पुलिस) विभाग

दिनांक 20.03.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
487	परि.ता.प्र.सं. 24 (क्र. 3556) दि. 20.03.2015 (श्री प्रहलाद भारती)	शिवपुरी जिले में 1984 के सिक्ख दंगा पीड़ितों का मान. उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.नं./2134/2001 के निर्णय पारित आदेशानुसार आर्थिक सहायता 40% बढ़ाकर ब्याज सहित दिया जाना।	निराकरण हेतु कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।		
488	परि.ता.प्र.सं. 85 (क्र. 4819) दि. 20.03.2015 (श्रीमती इमरती देवी)	1. पी.एम.टी. 2006, 2007 एवं पी.जी. 2008 की परीक्षा में हुई अनियमितता के संबंध में एस.टी.एफ. को प्राप्त सूचना/आवेदन/शिकायती पत्रों में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर जांच कराई जाना। 2. एस.टी.एफ. द्वारा पी.एम.टी. परीक्षा घोटाले में गिरफ्तार के आरोपियों की कॉल डिटेल की जांच एवं कार्यवाही की जाना।	(1) तथ्यों के आधार पर परीक्षण कर जांच की जा रही है एवं जांच पर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। (2) कॉल डिटेल के आधार पर साक्ष्य एकत्रित कर विवेचना में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।		
489	परि.ता.प्र.सं. 89 (क्र. 4891) दि. 20.03.2015 (श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार)	मान. विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट मुरैना द्वारा श्रीमती कल्पना पति विनय जैन निवासी गंजबासोदा (विदिशा) के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट की पुलिस द्वारा तामीली न कराने की जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	(1) जांच आदेशित की गई है जो वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। (2) वारंट गुमने संबंधी प्रकरण में विभागीय कार्यवाही की जा रही है।		
490	परि.ता.प्र.सं. 111 (क्र. 5138) दि. 20.03.2015 (श्री के.डी. देशमुख)	बालाघाट जिले के पुलिस थाना कटंगी में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटंगी के विरुद्ध दिनांक 06.01.2015 को की गई लिखित रिपोर्ट में विधि सम्मत कार्यवाही की जाना।	रिपोर्ट की जांच प्रक्रियाधीन है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

गृह(पुलिस) विभाग

दिनांक 20.03.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
491	परि.ता.प्र.सं. 132 (क्र. 5340) दि. 20.03.2015 (श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना))	रीवा जिला अंतर्गत थाना मऊगंज में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 75/13 के आरोपियों की गिरफ्तारी की जाना।	अज्ञात आरोपियों की पतासाजी हेतु विधि अनुरूप विवेचना में सभी प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं। प्रकरण वर्तमान में विवेचना में है।		
492	अता.प्र.सं. 49 (क्र. 4313) दि. 20.03.2015 (श्री हर्ष यादव)	थाना रेहटी जिला सीहोर में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 24/15 एवं थाना मिसरोद जिला भोपाल में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 35/15 की विवेचना में लापरवाही बरतने की जांच एवं दोषी पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	इस संबंध में जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भोपाल के द्वारा की जा रही है।		
493	अता.प्र.सं. 50 (क्र. 4316) दि. 20.03.2015 (श्री हर्ष यादव)	भोपाल शहर के शिवाजी नगर स्थित शासकीय आवास गृह क्रमांक H-114/25 पर अनाधिकृत कब्जा किये जाने पर आवास रिक्त कराने हेतु म.प्र. लोक परिसर बेदखली अधिनियम अंतर्गत कार्यवाही की जाना।	प्रकरण दर्ज करने की कार्यवाही प्रचलित है।		
494	अता.प्र.सं. 103 (क्र. 5189) दि. 20.03.2015 (श्री रामनिवास रावत)	व्यापम फर्जीवाड़े के संबंध में शिकायतकर्ता ग्वालियर के श्री आशीष कुमार चतुर्वेदी द्वारा एस.टी.एफ. एवं एस.आई.टी. को की गई लिखित शिकायतों में उल्लेखित तथ्यों की जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	(1) एस.टी.एफ. व जिला एस.आई.टी. द्वारा जांच की जा रही है। 04 शिकयतें जांच में लंबित है। पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना की जा रही है। (2) अपराध पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान किया जा रहा है।		
495	अता.प्र.सं. 107 (क्र. 5233) दि. 20.03.2015 (श्री अमर सिंह यादव)	मा. उच्च न्यायालय जबलपुर के पारित निर्णयानुसार प्रदेश के नगर सैनिकों को आरक्षक के समान वेतनमान व अन्य सुविधा दी जाना।	प्रकरण परीक्षणाधीन।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015 सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग

दिनांक 20.03.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
496	परि.ता.प्र.सं. 96 (क्र. 4932) दि. 20.03.2015 (श्री मोती कश्यप)	भोपाल के पुराने मछलीघर को स्थानान्तरित कर मत्स्य बीज प्रक्षेत्र भदभदा परिसर भोपाल में नवीन आधुनिक मत्स्य गृह बनाया जाना ।	नवीन आधुनिक मत्स्य गृह पी.पी.पी. मोड पर विकसित स्वरूप में पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया प्रचलन में है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

महिला एवं बाल विकास विभाग

दिनांक 20.03.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
497	अता.प्र.सं. 04 (क्र. 1261) दि. 20.03.2015 (श्री हरवंश राठौर)	सागर जिले की बण्डा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत एवं अनिर्माणित आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण कार्य समय सीमा में पूर्ण कराया जाना ।	स्वीकृत एवं अनिर्मित आंगनवाड़ी भवनों के कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जायेंगे ।		
498	अता.प्र.सं. 120 (क्र. 5345) दि. 20.03.2015 (श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना))	रीवा जिले के विकासखण्ड हनुमना अंतर्गत कोइझार में स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्र का नियमित संचालन नहीं किये जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही एवं नियमित आंगनवाड़ी के संचालन की व्यवस्था की जाना ।	परियोजना अधिकारी हनुमना द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को पद से पृथक करने की कार्यवाही की जा रही है ।		